लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

न्यायालय अपर कलक्टर, अजमेर

राजस्व प्रकरण संख्या 12/2016

1. श्री नौरत
2. श्री मोहन
3. श्री रतन

पुत्रगण श्री सूजा उर्फ सूरजमल पौत्रगण श्री मगना समस्त जाति माली निवासीगण ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

.....*प्रार्थीगण*

बनाम

1. श्री छोटू पुत्र श्री धूला
2. श्री रंगलाल पुत्र श्री भंवरलाल

दोनो जाति माली निवासीगण ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नसीराबाद।
4. उपखण्ड अधिकारी, अजमेर जिला अजमेर।

.....**अप्रार्थीगण**

अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू आवंटन) नियम 1970

उपस्थितः– 1. श्री निर्मल कुमार जैन, वकील प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री सीताराम रावत, वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक 17.05.2017

वर्तमान में अजमेर जिले में राजस्व अभियान "न्याय आपके द्वार 2017" का आयोजन किया जा रहा है जिसके तहत प्रकरण प्रस्तुत हुआ। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि दिनांक 22.07.1984 को ग्राम रामसर में आयोजित राजस्व कैम्प में आवंटन सलाहकार समिति की सिफारिश के आधार पर श्री रंगलाल पुत्र श्री भंवर लाल व श्री छोटू पुत्र श्री धूला दोनो जाति जाट निवासीगण ग्राम रामसर तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के पक्ष में उपखण्ड अधिकारी अजमेर द्वारा ग्राम रामसर स्थित चौसाला खसरा नम्बर 5190 रकबा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 5192 रकबा 13 बिस्वा, खसरा नम्बर 5193 रकबा 1 बीघा, खसरा नम्बर 5195 रकबा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 5205 रकबा 7 बिस्वा सहित कुल किता 14 कुल रकबा 35 बीघा 14 बिस्वा भूमि का कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किये गये विवादित भूमि के आवंटन को विभिन्न कारणों से

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

विधि विरूद्व बताते हुए विवादित भूमि के आवंटन को निरस्त करने हेतु यह प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

हमने उभयपक्ष के वकीलों की बहस सुनी। विद्वान वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में उठाये गए बिन्दुओं की ताईद करते हुए व्यक्त किया कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन न्याय, नियम व रेकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। उनका कथन है कि विवादित भूमि खतौनी जमाबंदी फसली सन् 1349 के खतौनी नम्बर 98 के अनुसार सहहिस्सेदार खातेदार श्री धूला व सूजा पुत्रगण मगना जाति माली दर्ज है, इस प्रकार आवंटित भूमि जो कि उपरोक्त चौसाला खसरा नम्बर के वर्किंग खसरा नम्बर क्रमशः 7000, 7002, 7003, 7005 व 7015 की भूमि एवं विवादित भूमि जो कि आवंटन आदेश में दर्शायी गई है उक्त भूमि पर श्री धूला व सूजा उर्फ सूरजमल पुत्रगण मगना का एवं उनके वारिसान का ही कब्जा काश्त चला आ रहा था, किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विरूद्व रूप से अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में आवंटित कर दी गई है जबकि तहसीलदार द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में स्पष्ट अंकित किया गया था कि अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पास खातेदारी भूमि अधिक होने से प्रकरण नियमन/ आवंटन योग्य नहीं है, इसके बावजूद तहसीलदार की रिपोर्ट को नजरअंदाज कर विधि के प्रतिकूल आवंटन आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है। वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस जारी रखते हुए आगे कथन किया कि विवादित भूमि धूला व सूजा की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रही है तथा उनकी मृत्यु पश्चात् विवादित भूमि पर निरंतर भौतिक कब्जा काश्त धूला के वारिस भंवर लाल व छोटू तथा प्रार्थीगण का चला आ रहा था, किन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा पटवारी हल्का से सांठगांठ कर गलत रिपोर्ट अंकित करवा कर आवंटन अधिकारी को धोखा देकर कपटपूर्वक विवादित भूमि का आवंटन करवा लिया है जबकि धूला पुत्र मगना का एकमात्र पुत्र भंवरलाल जो कि आज भी जीवित है तथा सूजा उर्फ सूरजमल के वारिस प्रार्थीगण है, ऐसी स्थिति में विवादित भूमि का आवंटन प्रार्थीगण के पक्ष में 1/2 हिस्सा तथा 1/2 हिस्सा अप्रार्थी संख्या 1 व अप्रार्थी संख्या 2 के पिता के पक्ष में किया जाना चाहिये था जबकि विवादित भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 का न तो कभी कब्जा था न ही आज भी है। उन्होंने कथन किया कि आवंटन आदेश पारित करने से पूर्व नियम 1970 के अनुसार न तो उद्घोषणा जारी की गई न ही आवंटन पात्र व्यक्तियों की सूची ही तैयार की गई। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब भी पेश नहीं किया गया है, इससे स्पष्ट है कि वे प्रार्थना पत्र में अंकित समस्त कथनों को स्वीकार करते है। अन्त में उन्होंने कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन निरस्त किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय को निर्देशित किया जावे कि विवादित भूमि में से 1/2 हिस्से का आवंटन प्रार्थीगण एवं 1/2 हिस्से का आवंटन धूला पुत्र मगना के वारिस भंवरलाल व छोटू के पक्ष में किया जावे।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

अपर कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

लोक अदालत अभियान
न्याय आपके द्वार
2017

वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत बहस के जवाब में वकील अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का कथन है कि अप्रार्थीगण के पक्ष में नियमानुसार सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया पश्चात् बाद जांच विवादित भूमि का आवंटन किया गया है। विवादित भूमि पुश्तैनी समय से ही अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के कब्जे काश्त में रही है। इसके अतिरिक्त वर्ष 1984 से आदिनांक तक कब्जा काश्त चला आ रहा है। उन्होंने कथन किया कि विवादित भूमि पर उन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है नियमानुसार खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् नियम 14(4) के अन्तर्गत आवंटन निरस्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने यह भी कथन किया कि विवादित भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में खतौनी जमाबंदी फसली 1349 के आधार पर नियमानुसार किया गया है। विवादित भूमि बाबत् बंटवारे का दावा डिक्री हो चुका है, अतः अब प्रार्थना पत्र पोषणीय नहीं होने से मय हर्जे–खर्चे के निरस्त किया जावे।

हमने उभयपक्ष द्वारा प्रस्तुत बहस पर ध्यानपूर्वक मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में 35 बीघा 14 बिस्वा भूमि का आवंटन किया गया है। तत्कालीन तहसीलदार अजमेर द्वारा अप्रार्थीगण के नाम पूर्व में ही अधिक कृषि भूमि खातेदारी में दर्ज होने से प्रकरण नियमन योग्य नहीं होने की रिपोर्ट अंकित की गई है। इसके अतिरिक्त वरवक्त आवंटन कमेटी का कोरम भी पूरा नहीं था। इसके बावजूद अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन/नियमन किसी भी प्रकार से विधिवत नहीं माना जा सकता।

उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप दिनांक 22.07.1984 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के पक्ष में किया गया विवादित भूमि का आवंटन/ नियमन निरस्त किया जाकर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे रेकार्ड एवं मौके का गहन अवलोकन कर उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर नये सिरे से विवादित भूमि के आवंटन की कार्यवाही करें।

आदेश आज दिनांक 17.05.2017 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अपर जिला कलक्टर अजमेर

(किशोर कुमार)
अपर कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner